संख्या-26/2021/1423/86-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2021

विषयः-बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा से त्रस्त प्रदेश के बालू/मौरम के खनन पट्टों की अक्टूबर-नवम्बर, 2021 माह में उपभोग की गयी मात्रा के अनुसार रायल्टी लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में माह अक्टूबर में अत्यधिक जल वृष्टि व नदियों में जल भराव होने के कारण बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत खनन उद्योग एवं राजस्व हित में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-69 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2021 की देय किश्त की छूट, इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर, 2021 में परिवहन किये जाने वाले खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार देय राजस्व का भुगतान किया जायेगा तथा माह अक्टूबर में निर्धारित उपखनिज की अवशेष मात्रा को वार्षिक मात्रा से कम कर दिया जायेगा एवं माह नवम्बर, 2021 की देय अग्रिम किश्त को दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक लिया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्या-1423(1)/86-2021-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-645/एम- 228/2017(खनन नीति)(vii)
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।